

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/कोलो/144/2006/जैसलमेर पूनाराम बनाम सरकार</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
	<p style="text-align: center;"><b>एकलपीठ</b> <b>श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य</b></p> <p><b>उपस्थित</b> श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता, प्रार्थी श्री शिवप्रकाश चौधरी, उप राजकीय अधिवक्ता, अप्रार्थी</p> <p style="text-align: center;"><b>निर्णय</b></p> <p style="text-align: center;"><b>दिनांक 14.02.2019</b></p> <p>प्रार्थी ने यह निगरानी प्रकरण धारा 23(2) राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के तहत आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12-09-2003 के विरुद्ध प्रस्तुत की है।</p> <p>संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन अधिकारी एव उपायुक्त उपनिवेशन, नाचना द्वारा आदेश दिनांक 15-07-1997 को चक 7 केएचएम का मुरब्बा नम्बर 50/479 व मुरब्बा नम्बर 50/48 की कुल 19बीघा कमाण्ड व 12बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटित की। उक्त आवंटन आदेश को निरस्त कराने हेतु तहसीलदार, नाचना ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 12-09-2003 से निरस्त कर दिया। इसी निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  निगरानी/कोलो/144/2006/जैसलमेर पूनाराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि प्रार्थी को विवादित आराजी का आवंटन विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए नियमानुसार किया गया था। उनका कथन है कि प्रार्थी ग्राम पंचायत टाबरीवाला का निवासी है, जिसके सम्बन्ध में उसके द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गयी थी। उनका कथन है कि आवंटन उपरान्त आवंटी भूमि पर प्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है एवं किश्ते जमा करवाता आ रहा है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना सरसरी तौर पर निगराधीन निर्णय पारित किया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रकरण को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर अप्रार्थी के पक्ष में हुए विवादित आराजी के आवंटन आदेश को यथावत बहाल रखा जावे।</p> <p>योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि तथाकथित आवंटन आदेश निर्धारित प्रारूप में जारी नहीं किया गया। ना ही आवंटन उपरान्त विवादित आराजी का कब्जा आवंटी को प्रदान किये जाने बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य है। उनका कथन है आवंटन उपरान्त प्रार्थी द्वारा प्रथम किश्त जमा करवाये जाने बाबत् भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। उनका कथन है कि वर्ष 2003 में खारिज आवंटन आदेश को पुनः 15 वर्ष उपरान्त बहाल किया जाना विधिसम्मत नहीं है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे।</p> <p>हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/कोलो/144/2006/जैसलमेर पूनाराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी को निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा कोई आवंटन आदेश जारी नहीं किया गया। आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर विवादित आराजी दिनांक 15-07-1997 को आवंटित किये जाने का आदेश पारित करते हुए आवंटी को आवंटित भूमि की प्रथम किश्त जमा कराने हेतु नोटिस जारी किया गया। इसके उपरान्त प्रार्थी आवंटी द्वारा आवंटित भूमि की प्रथम किश्त जमा करवाई हो, ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, ना ही आवंटित भूमि का तत्सयम कब्जा दिये जाने का कोई प्रमाण प्रस्तुत किया गया है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में 21 वर्ष पश्चात् कागजी आवंटन को बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत आदेश से आवंटन आदेश को निरस्त किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णयों की पुष्टि की जाती है।</p> <p>निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे।</p> <p>पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">( मोहन लाल नेहरा ) सदस्य</p>	

